संख्या-130/2020/363/22-2-2020-17(740)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छत्रपाल पुत्र श्री चन्द्रिका, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6069/प्रोवेशन-3/फार्म-ए (एम-26.02.2020) दिनांक-27.02.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छत्रपाल पुत्र श्री चन्द्रिका, जो ग्राम-मोहद्दीन, थाना-सिधौली, वर्तमान पता ग्राम-मछवाखेड़ा, थाना-अटरिया, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 02.01.1985 को सायं लगभग 10:00 बजे अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक, राइफल, तमंचों से फायर कर 21 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-79/1985 भा0द0सं0 की धारा-302/149, 307/149, **452**, 148, 147, 436 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-04, सीतापुर के आदेश दिनांक 25.08.2001 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.07.2002 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से यथावत रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 20.09.2019 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 21 लोगों की हत्या करने तथा भविष्य में अपराध की सम्भावना के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 02.01.1985 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक, राइफल, तमंचों से फायर कर 21 व्यक्तियों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, का अंकन पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी छत्रपाल पुत्र श्री चन्द्रिका को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रश्नगत प्रकरण मिस रिट याचिका संख्या-281/2020 छत्रपाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2020 के अनुपालन में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी छत्रपाल (बन्दी संख्या-36442) पुत्र श्री चन्द्रिका, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-130/2020/363(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-130/2020/363/22-2-2020-17(740)/2017

दिनांक 30 मार्च, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छत्रपाल पुत्र श्री चन्द्रिका, जो ग्राम-मोहद्दीन, थाना-सिधौली, वर्तमान पता ग्राम-मछवाखेड़ा, थाना-अटरिया, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 02.01.1985 को सायं लगभग 10:00 बजे अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक, राइफल, तमंचों से फायर कर 21 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-79/1985 भा0द0सं0 की धारा-302/149, 307/149, **452**, 148, 147, 436 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-04, सीतापुर के आदेश दिनांक 25.08.2001 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.07.2002 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से यथावत रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 20.09.2019 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 21 लोगों की हत्या करने तथा भविष्य में अपराध की सम्भावना के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 02.01.1985 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक, राइफल, तमंचों से फायर कर 21 व्यक्तियों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, का अंकन पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी छत्रपाल पुत्र श्री चन्द्रिका को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in